उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्ता, संवैधानिक / नियामक संस्था)

पत्रांकः 284 / 4-11 (29) दिनांकः 23-11-2016

प्रेषक :

पवन कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड,
लखनऊ

सेवा में,

समस्त जोनल मुख्य वन संरक्षक / मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषयः— शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2266 / 14—5—2016—6 रिट / 2016 लखनऊ दिनॉक 02 नवम्बर, 2016 के क्रम में जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जैवविविधता प्रबन्ध समिति (बी.एम.सी.) तथा जन जैवविविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस शासनादेश के अन्तर्गत जोनल मुख्य वन संरक्षक / मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक को जैवविविधता प्रबन्ध समिति (बी.एम.सी.) तथा जन जैवविविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) के निर्माण के कार्य का पर्यवेक्षणीय दायित्व दिया गया है तथा प्रभागीय वनाधिकारी इसके क्रियान्वयन हेतु अधिकृत किये गये हैं।

अतएव आपसे अनुरोध है कि जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा—41 तथा जैवविविधता नियमावली के नियम—22 के प्राविधानों के दृष्टिगत जैवविविधता प्रबन्ध समिति (बी.एम.सी.) तथा जन जैवविविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) का निर्माण कराने हेतु सम्बन्धित वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

बी.एम.सी. तथा पी.बी.आर. के निर्माण हेतु जिले में ग्राम सभाओं की संख्या का ऑकलन कर प्रत्येक वन प्रभाग को पॉच वर्षीय लक्ष्य (5 years target) निर्धारित कर लक्ष्य की एक प्रति 15 दिसम्बर, 2016 तक उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु आवश्यक टाईम लाईन भी निर्धारित कर क्रियान्वयन की समीक्षा भी किया जाये ताकि यह कार्य ससमय् सम्पन्न हो सके।

Our Vision: Conservation beyond Imagination

पूर्वी विंग, तृतीय तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226 010

फोन नं0: 0522. 2306491, 4006746, फैक्स नं0: 0522.4006746,

E-mail : upstatebiodiversityboard@gmail.com. Website: http://www.upsbdb.org

उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्त, संवैधानिक/नियामक संस्था)

बी.एम.सी. तथा पी.बी.आर. के त्वरित निर्माण हेतु नवीन गाईडलाईन्स संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(पवन कुमार)

पत्र संख्या 284 /तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैवविविधता, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त वन संरक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।

(पवन कुमार)

Our Vision: Conservation beyond Imagination

पूर्वी विंग, तृतीय तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226 010

फोन नं0: 0522. 2306491, 4006746, फैक्स नं0: 0522.4006746,

E-mail : upstatebiodiversityboard@gmail.com, Website: http://www.upsbdb.org

ग्राम सभा स्तर पर जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जैवविविधता प्रबन्ध समिति (Biodiversity Management Committee, BMC) तथा जन जैवविविधता रजिस्टर (People's Biodiversity Register, PBR) के निर्माण हेतु नवीन गाईडलाईन्स :–

- वनक्षेत्राधिकारी (रेंज अधिकारी) के द्वारा ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर उन्हें जैवविविधता अधिनियम, बी.एम.सी. के गठन, पी.बी.आर. के निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देकर बी.एम.सी. के गठन हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित करने के लिए समय, तिथि व स्थल को निर्धारित कराना।
- *निर्धारित बैठक की तिथि को सात सदस्यीय* बी.एम.सी. *के गठन की प्रकिया पूर्ण किया जाना :*
- इस बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम सभा सदस्य, जैव संसाधन की जानकारी रखने वाले ग्रामवासियों, वैद्य, हकीम एवं अन्य ग्रामीणों आदि की उपस्थिति सुनिश्चित कर बी.एम.सी. के गठन की कार्यवाही कर इसे ग्रामसभा की कार्यवाही रजिस्टर में अंकित कराया जाय।
- बी.एम.सी. के गठन के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के वेबसाईट www.upsbdb.org के लिंक पर एग्रो क्लाइमेटिक जोनवार पी.बी.आर. बुकलेट 1–9 उपलब्ध है, सम्बन्धित जोन की पी.बी.आर. बुकलेट को डाउनलोड कर पी.बी.आर. बुकलेट के पृष्ठ संख्या 2 व 3 को भराया जाये तथा उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर कराया जाये।

  इस प्रकार जैवविविधता प्रबन्ध समिति के गठन की प्रकिया पूर्ण होती है।

- *तत्पश्चात् पी.बी.आर. बुकलेट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो जाता है।*

आपकी सुविधा के लिए प्रत्येक पी.बी.आर. बुकलेट की पृष्ठ संख्या–5 से 9 तक एग्रो क्लाइमेटिक जोनवार जैव संसाधनों की सूची इंगित की गई है, जिसे ग्रामसभा की खुली बैठक में अपनाया जाये तथा इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र पी.बी.आर. बुकलेट के पृष्ठ संख्या–4 पर अंकित किया जाये। यह अपनाया गया पी.बी.आर. बुकलेट वेबसाईट पर उपलब्ध सम्बन्धित एग्रो क्लाइमेटिक जोन के जन जैवविविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) का सबसेट (सारांश) है, अतः वेबसाईट पर उपलब्ध जन जैवविविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) भी जैवविविधता प्रबन्ध समिति के द्वारा अपनाया गया माना जायेगा।

पी.बी.आर. बुकलेट में इंगित जैव संसाधनों की सूची के अतिरिक्त यदि कोई जैव संसाधन ग्राम सभा में पाया जाता है तो उसकी सूचना पृष्ठ संख्या–10 पर अंकित कर दिया जाये।

- *इस प्रकार पी.बी.आर. बुकलेट एवं जन जैवविविधता रजिस्टर के गठन की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है।*
- उक्त पी.बी.आर. बुकलेट की एक प्रति सम्बन्धित वन प्रभाग द्वारा जैव संसाधन समिति के अध्यक्ष, एक प्रति प्रभागीय कार्यालय में एवं एक प्रति स्कैन कर उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड की ईमेल **upstatebiodiversityboard@gmail.com** पर तत्काल **Attached file** के रूप में प्रेषित किया जाये।
- पी.बी.आर. बुकलेट के रूप में तैयार पी.बी.आर. में अंकित समस्त जैव संसाधनों का वृहद् विवरण एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार निर्मित जन जैवविविधता रजिस्टर वेबसाईट **www.upsbdb.org** पर उपलब्ध है।

7